**संख्या-74/2017/245/पॉच-6-16-76(जी.)/15टी.सी.**

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2017

विषय:- प्रदेश के नवनिर्मित ट्रामा सेन्टरों के स्थापना/संचालन के लिये उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय हेतु पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रू0-137734800/- आहरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-08फ/भण्डार/10054, दिनांक 08.02.17 तथा शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पॉच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-07/2016/3344/पॉच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16 शासनादेश संख्या-06/2016/3103/पॉच-6-16-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-120/2016/846/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.16 व शासनादेश संख्या-14/2017/2966/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 03.01.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों दिनांक 31.08.15 व 01.01.16 द्वारा प्रदेश के कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, गाजियाबाद (संयुक्त चिकित्सालय, संजय नगर), लखनऊ (डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय), जौनपुर, कन्नौज (जिला चिकित्सालय), सोनभद्र, बांदा, वाराणसी, बलिया व एस.बी.डी. चिकित्सालय, सहारनपुर में नवनिर्मित कुल 17 ट्रामा सेन्टरों की स्थापना/संचालन हेतु उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रश्नगत धनराशि उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.16 व 03.01.2017 द्वारा वित्त अधिकारी, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता सं0-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों में दिनांक 31.03.17 तक रखने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार उक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत उपकरणों में से संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रश्नगत उपकरणों हेतु पी0एल0ए0 में अनुरक्षित कुल धनराशि रू0-137734800.00 (रूपया तेरह करोड़ सतहत्तर लाख चौंतीस हजार आठ सौ मात्र) को वित्त अधिकारी, किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता सं0-8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियों से आहरित कर की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा ।

(3) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा । यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

(4) इस सबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(6) शेष शर्ते शासनादेश संख्या-186/2015/1916/पॉच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 31.08.15, शासनादेश संख्या-07/2016/3344/पॉच-6-15-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16 शासनादेश संख्या-06/2016/3103/पॉच-6-16-76(जी.)/15, दिनांक 01.01.16, शासनादेश संख्या-120/2016/846/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.16 व शासनादेश संख्या-14/2017/2966/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 03.01.2017 की यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 पत्र संख्या- वित्त ई0-3-251/दस-17 दिनांक 14 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त ।**

भवदीय,

अवधेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

**संख्या-74/2017/245(1)/पॉच-6-2017, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) संबंधित जिलाधिकारी।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(8) प्राचार्य /रजिस्ट्रार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(9) वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(10) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(11) संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4 ।
(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(14) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से,

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**शासनादेश संख्या-74/2017/245/पॉच-6-16-76(जी.)/ 15टी.सी. दिनांक : 20 मार्च, 2017 का संलग्नक**

| क्रम सं0 | उपकरण का नाम | मात्रा | पी0एल0ए0 में अनुरक्षित धनराशि |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | सिरिन्ज इन्फ्यूजन पम्प | **8** | 820800.00 |
| 2 | 3डी अल्ट्रा सोनोग्राफी | **8** | 13680000.00 |
| 3 | 3डी अल्ट्रा सोनोग्राफी | **9** | 7695000.00 |
| 4 | न्यूमेटिक टूर्नि किट | **16** | 2736000.00 |
| 5 | न्यूमेटिक टूर्नि किट | **18** | 1539000.00 |
| 6 | आई0सी0यू0 बेड | **75** | 2565000.00 |
| 7 | वेन्टीलेटर विद हाई एण्ड कम्प्रेशर | **40** | 68400000.00 |
| 8 | वेन्टीलेटर विद हाई एण्ड कम्प्रेशर | **45** | 38475000.00 |
| 9 | काटरी मशीन मोनोबाइपोलर | **16** | 1824000.00 |
| | | योग- | **137734800.00** |

**(रूपया तेरह करोड़ सतहत्तर लाख चौंतीस हजार आठ सौ मात्र)**

राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।